हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995

(राज्यपाल द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 1995 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सार्वजनिक नालियों, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने या जमा करने को निवारित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जीव नाशित कूड़ा-कचरा" से जीवित प्राणियों की क्रिया द्वारा नाशित किए जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है;

(ख) "सफाई गली" से रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो नाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने के लिए अथवा शौचालय, मूत्रालय, मलकुंड तक या गन्दगी या अन्य दूषित पदार्थ के लिए अन्य पात्र तक, उसकी सफाई के लिए या उसमें से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए नियोजित व्यक्तियों के आने-जाने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक रखा गया है या प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या जारी रखा गया नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, जिला परिषद्, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(घ) "मंडी" के अन्तर्गत, इस बात के होते हुए भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के जमाव के लिए कोई सामान्य विनियम नहीं है और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा मंडी के कारबार या मंडी में बार-बार आने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जाता है, या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति सहित या रहित, व्यक्ति, मानव प्रयोग अथवा उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जियां, भोजन या अन्य वस्तुएं विक्रय के लिए, बेचने के लिए, एकत्र होते हैं;

(ङ) "जीव अनाशित कूड़ा-कचरा" से ऐसा कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है जो जीव-नाशित नहीं है और इसके अन्तर्गत पोलीथाईलीन, नाईलान और प्लास्टिक का अन्य माल जैसे पी0वी0सी0, पालीप्रोप्लीन और पालिस्टाइरीन जो जीवित प्राणियों की क्रिया द्वारा नाशित किए जाने योग्य नहीं है और जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्टतः सम्मिलित है;

(च) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं--

(क) कोई व्यक्ति जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का जिम्मेदार है, जिसकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है;

(ख) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका प्रयोग करता है;

(ग) किसी भूमि या भवन का भाटकमुक्त अभिधारी;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसानी संदत्त करने का दायी है;

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्यों के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को पट्टे पर दे दिया जाए तो इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और किसी भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह, यदि कोई हो, इसके अन्तर्गत है;

(झ) "जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राइवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है जो किसी सार्वजनिक स्थान में, या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "लोक विश्लेषक" से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी पर्यावरणिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और 1986 का 29

(ठ) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो सर्वसाधारण के प्रयोग और उपयोग के लिए खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग किया जाता है या नहीं और सड़क, मार्ग, मण्डी, सफाई रास्ता या रास्ता, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं और उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पहुंच है या आने-जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है, इसके अन्तर्गत है।

3. कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अन्य के माध्यम से जानबूझकर या अन्यथा---

सार्वजनिक स्थानों, नालियों मल-नालि में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध ।

(1) किसी प्राइवेट या सार्वजनिक जल निकास संकर्मों से सम्बन्धित किसी नाली, संवातन नाल, पाइप और फिटिंगों में कोई जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित थैले या पात्र में कोई जीव-नाशित कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या फेंकवाएगा, जिससे,—

(*i*) जल निकास और मल व्ययन प्रणाली को क्षति पहुंचने; या

(*ii*) निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ने या अन्तर्वस्तु की अभिक्रिया और व्ययन पर प्रभाव पड़ने; या

(*iii*) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या न्यूसैन्स का कारण अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने;

की सम्भावना है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जानबूझकर या अन्यथा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपाय का जो विहित किया जाए, पालन करने के पश्चात् के सिवाय किसी जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे को, किसी सार्वजनिक स्थान या जनता को दृष्टिगोचर स्थान में नहीं रखेगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि---

(क) कूड़ा-कचरा किसी कूड़ा-कचरा पात्र में नहीं रखा जाता है; या

(ख) किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कूड़े-कचरे के व्ययन के लिए अभिहित स्थान में कूड़ा-कचरा जमा नहीं किया जाता है ।

4. स्थानीय प्राधिकरण या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा---

जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों को व्यवस्था करना ।

(क) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी तौर पर जमा या संग्रहण के लिए उचित और सुविधाजनक स्थिति में सार्वजनिक कूड़ेदान रखना या संग्रह स्थानों या जगह की व्यवस्था करना ;

(ख) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने के लिए, जीव नाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न, अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करना ;

(ग) कूड़ादानों, कूड़ास्थानों की अन्तर्वस्तु और इस धारा के खण्ड (क) के अधीन इस द्वारा व्यवस्थित या नियत सभी स्थानों के ढ़ेर को हटाने की व्यवस्था करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत जीव अनाशित कूड़े-कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्ध करना ।

जीव अनाशित कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य ।

5. सब भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा —

(क) अपनी-अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संगृहीत करना या करवाना और सार्वजनिक कूड़ादानों, संग्रह स्थानों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने या संगृहीत करने के लिए व्यवस्थित स्थानों में जमा करना या करवाना ;

(ख) जीव नाशित कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न, ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़े-कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकरण या इसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों/कचरा-पेटियों को अच्छी दशा और अवस्था में रखना ।

जीव अनाशित कूड़ा-कचरा हटाने की स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति ।

6. स्थानीय प्राधिकरण, लिखित नोटिस द्वारा, किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े-कचरे का अनाधिकृत ढ़ेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है, और न्यूसैन्स का कारण बनने की सम्भावना है, स्वामी या अधिभोगी अथवा भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढ़ेर लगाए गए या संगृहीत उक्त कूड़े-कचरे को हटाने या हटवाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, इसकी राय में, जीव अनाशित कूड़े-कचरे के ऐसे ढ़ेर या संग्रहण से जल निकास और मल व्ययन प्रणाली को क्षति होने या जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना है, तो यह तुरन्त ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे पग उठाएगा जो यह आवश्यक समझे ।

अध्ययन, अनुसंधान और समर्थन कार्यक्रम ।

7. राज्य सरकार —

(क) जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे के सम्मिश्रण के अवधारण के लिए अध्ययन का जिम्मा ले सकेगी ;

(ख) अपशिष्ट के स्रोत में कमी या इसके पुनःप्रयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान या कार्यक्रमों के संचालन या बढ़ावा देने के उपाय नियत कर सकेगी ;

(ग) घरेलू और अन्य ठोस अपशिष्ट पृथक-करण स्कीमों की सामाजिक और आर्थिक साध्यता अवधारित करने के लिए अध्ययनों का संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी, जिसके अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों में पुनः चक्रण योग्य पदार्थों के प्रकार और मात्रा है ;

(घ) राज्य में, निवासियों के लिए, जिनके कूड़ा-कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था नहीं है, सुगमता से पहुंचने वाले ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थानों की व्यवस्था करने के लिए, स्थानीय प्राधिकरणों को प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ङ) अपशिष्ट पदार्थों के पुनःचक्रण की नीतियों के कार्यान्वयन, ऊर्जा संरक्षण की अभिवृद्धि करने और पुनः चक्रीय पदार्थों से बने उत्पादों को खरीदने का जिम्मा ले सकेगी और स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(च) पुनःचक्रण पर अनुसंधान जिसके अन्तर्गत संचालन पुनःचक्रण कारबार पर सूचना और पुनः चक्रणीयों पर मंडी सूचना भी है का संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी ;

(छ) सर्वसाधारण, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था और उद्योगों के शिक्षण के प्रयोग के लिए अपशिष्ट प्रबन्ध और पुनःचक्रण पर अनुसंधान का संचालन कर सकेगी/बढ़ावा दे सकेगी;

(ज) विनिर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या व्यापार करते हैं पर, किस्म, आकार, पैकेजिंग, लेबल लगाना और पैकेजिंग की संरचना की बाबत जो प्रयोग की जा सकती है या की जानी है और पैकेजिंग के व्ययन की बाबत जिसके अन्तर्गत पदार्थों की निम्नीकरणीयता और पुनः चक्रणियता भी है, अपेक्षाएं अधिरोपित कर सकेगी ।

शास्तियां ।

8. (1) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई अधिसूचना अथवा दिए गए आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साशय लोप का दोषी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध पाया गया है वह पश्चात्कथित अपराध के लिए उपबन्धित से दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति में अपराध करने में सहायता, दुष्प्रेरण करता है या उपसाधक है, वह दोषसिद्धि पर अपराध के लिए विहित कारावास से दण्डित किया जाएगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

9. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि

वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी घोर उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संक्षेपतः विचारण।

10. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे विचारण को लागू होंगे। 1974 का 2

अपराधों का शमन।

11. (1) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के खाते में जमा करने के लिए, ऐसी राशि के संदाय पर जो ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां यथा शमनित अपराध के बारे में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा निदेश।

12. स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इसे जारी किए जाएं।

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति।

13. जब कभी ऐसा करना समीचीन हो राज्य सरकार, लोकहित में और लोक विश्लेषक के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी जीव अनाशित कूड़े-कचरे की किसी मद को जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

14. राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति का (जिसके अन्तर्गत धारा 17 के अधीन नियम बनाने की शक्ति नहीं है) ऐसे मामलों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

16. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं । अन्य विधियों का प्रभावित न होना ।

17. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

[धारा 2 (ङ) देखें]

जीव अनाशित कूड़ा-कचरा :

1. पोलीथिलीन ।
2. नाइलोन ।
3. पी0बी0सी0 ।
4. पोली-परोपाईलीन ।
5. पोली-स्टाइरीन ।